प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 181/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

सुरेश कुमार कोठारी पुत्र स्व. सोहन लाल कोठारी पताः वार्ड नं. 8, कन्याशाला के पास, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 24/12/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 26.08.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/181/25/1193–94 दिनांक 01.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प./41/2/सू.अ/प्र.अ.स./181/25/1201–02 दिनांक 09.12.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी का शिकायत पत्र जो कि पत्रांक 3085 दिनांक 28.08.2025 राजस्व विभाग, जयपुर द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय उदयपुर को भिजवाया गया परन्तु उक्त पत्र आवक अनुभाग की रिपोर्ट अनुसार आवक पंजिका में उक्त पत्र आदिनांक तक दर्ज नहीं हुआ है, इस हेतु प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने का श्रम करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा राजस्व विभाग, जयपुर द्वारा जिला कलक्टर उदयपुर को प्रेषित शिकायती पत्रांक 3085 दिनांक 28.08.2025 के संबंध में सूचना चाही गई थी, प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलोत्तर अनुसार उक्त पत्र आवक पंजिका में दर्ज नहीं होना पाया गया जिससे अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय में प्रेषित प्रत्युतर के विपरीत अपीलार्थी की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए, ऐसी स्थिति में यह माना उचित होगा है कि वांछित जवाब अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है एवं वह प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम **अपील** होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24-12-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर